

न्याय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज0)

जारी रिपोर्ट पटवारी हल्का बसेठ

बनाम पोपल्ला, निधाल काडू पिठ

मवासी कुम्हार, माठकी

निर्णय

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA119/22

निर्णय दिनांक :- 16/3/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम माठकी की आ0 ख0 नं0 540 कुल रकबा 0.2500 किस्म जमीन गौमुठ भरखर में से 0.02 रकबे पर श्री पोपल्ला, निधाल काडू पिठ मवासी पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर धुसाईधन कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का मसारी द्वारा दिनांक 22/1/22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी पोपल्ला निधाल काडू जाति कुम्हार पिठ मवासी कुम्हार निवासी माठकी को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी पोपल्ला निधाल काडू उपस्थित नहीं हुआ/हुआ। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है। जिसमें अतिक्रमी द्वारा अतिक्रमण हटाने की लिखित सहमति दी गई।

उक्त रकबा आ0 ख0 नं0 540 रकबा 0.2500 में से 0.02 रकबे किस्म गौमुठ भरखर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.44P488 का 50 गुणा 22/1 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है। मांग कायमी हेतु टी.आर.ए. को लिखा जावे। पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी बसेठ भू0 अ0 निरीक्षक बसेठ को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार (अलवर)

तहसीलदार
तहसील (कठूमर)